न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ।

वि0वाद सं0– 91/2018
हारून बनाम मोहसिन

मुकदमा अपराध संख्या–198/2017
अन्तर्गत धारा–363,120बी,,भा.द.स.
थाना– बहसूमा, जिला– मेरठ

दिनांकः–26.06.2024

पत्रावली लंच बाद प्रस्तुत हुई । वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया ।

विवेचक द्वारा प्रकरण में विवेचना उपरांत अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है।

वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी। वादी मुकदमा द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आपत्ति दाखिल की गयी। किन्तु आपत्ति दाखिल करने के पश्चात वादी मुकदमा अंतिम अवसर दिए जाने के पश्चात भी बल देने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं आया न ही उसकी ओर से कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। बलाभाव में वादी मुकदमा द्वारा दाखिल आपत्ति निरस्त की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा को वाद में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान परिस्थियों में प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषित अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है । तदनुसार अतिंम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण मुकदमा अपराध संख्या 198/2017 अन्तर्गत धारा–363,120बी भा.द.सं. थाना–बहसूमा,जिला मेरठ में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

। शिवेन्द्र शर्मा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
(मेरठ)
I.D.No.UP.3792